



2026:AHC:171935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8053 वर्ष 2026

करम सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अर्पित मिश्रा, शिवम यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0156 वर्ष 2026, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 भारतीय दंड संहिता, थाना गुन्नौर, जनपद सम्भल में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रासंगिक समय पर आवेदक तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ चकबंदी विभाग के अधिकारियों को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। कुल उन्नीस व्यक्तियों को ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है, जो कथित रूप से दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2023 के मध्य घटित हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.07.2026 को दर्ज की गई। आरोप यह है कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा 162 लाभार्थियों के पक्ष में पट्टे प्रदान किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए। यह पाया गया है कि 162 लाभार्थियों में से केवल 140 लाभार्थियों को आवंटन किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा दिनांक 31.03.2023 को 17 अपात्र व्यक्तियों के आवंटन निरस्त कर दिए गए और इसके पश्चात भी लगभग 145 व्यक्ति राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, जिन्हें कब्जा नहीं दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रासंगिक समय पर तहसीलदार होने के कारण आवेदक आवंटन कार्यवाही में सम्मिलित नहीं था। अन्यथा भी, उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से दर्ज की गई है। आवेदक, यदि किसी प्रकार उत्तरदायी था, तो वह अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 202 के अधीन कोई वाद या अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया, तथापि उन्होंने कहा कि चूंकि मामला राजस्व अभिलेखों के विस्तृत परीक्षण से संबंधित है, अतः आवश्यक कागजात एवं निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय की अपेक्षा है।

5. मांगा गया समय प्रदान किया जाता है।

6. दिनांक 31.08.2026 को सूचीबद्ध करें।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, अगली सूचीबद्ध तिथि तक, यदि उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक-**करम सिंह** की गिरफ्तारी होती है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।